

U; k; ky; Hk; zU/k vf/kdkjh , o insu jktLo vihy
i kf/kdkjh chdkuj
Ekgkohj [kjKMh vkj0,0, I 0

vihy I 0 11@2020

1. भंवरदास पुत्र स्व0 श्री नेमदास जाति कामड निवासी बीदासर जिला चूरु ।

vihyk/I

cuke

1. रूपादेवी पत्नी स्व0 श्री भैरदास जाति कामड निवासीगण बीदासर जिला चूरु ।
2. हडमानदास पुत्र स्व0 श्री भैरदास जाति कामड निवासीगण बीदासर जिला चूरु ।
3. रामदास पुत्र स्व0 श्री भैरदास जाति कामड निवासीगण बीदासर जिला चूरु ।
4. शिवलाल पुत्र स्व0 श्री बंशीदास जाति कामड निवासीगण बीदासर जिला चूरु ।
5. ईशरदास पुत्र स्व0 श्री बंशीदास जाति कामड निवासीगण बीदासर जिला चूरु ।
6. लालदास पुत्र स्व0 श्री बंशीदास जाति कामड निवासीगण बीदासर जिला चूरु ।
7. मोटदास पुत्र स्व0 श्री केशरदास जाति कामड निवासीगण बीदासर जिला चूरु ।
8. नारायणदास पुत्र स्व0 श्री केशरदास जाति कामड निवासीगण बीदासर जिला चूरु ।
9. राजस्थान राज्य

jti kMsVI

mi fLFkr%&

1. श्री ज्ञानसिंह विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दिनेश गहलोत अधिवक्ता रेस्पोंडेन्टस सं0 1 ता 5

U; k; ky; mi [k.M vf/kdkjh chnkl j ds okn I 0 33@2016

ea fu.kz o i kjfEHkd fMØh fnukad 31-05-2019 ds

fo: } vihy
vf/kfu; e 1955

vUrxr /kjk 223 jktLFku dk'rdkjh

fu.kz

दिनांक:-16.09.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से हैं कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी बीदासर के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31.05.2019 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 1508 तादादी 22.02 बीघा, ख0न0 1513 तादादी 25.04 बीघा, ख0न0 1520 तादादी 2 बीघा कुल कित्ता 3 तादादी 49.06 बीघा वाके रोही बीदासर में स्थित है जो अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 ता 8 के पूर्वजो के खातेदारी कृषि भूमि है जिस बाबत रेस्पो0 सं0 1 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा घोषणात्मक, रेकार्ड दुरुस्ती, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिस पर समस्त पक्षकारान द्वारा दिनांक 31.05.2019 को आपस में राजीनामा हो जाने पर उसी राजीनामें के आधार पर प्राथमिक डिक्री व निर्णय किया गया व उसी आधार पर दिनांक 06.03.2020 को अंतिम डिक्री जारी की गयी । उक्त डिक्रीया प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 06.03.2020 के विरुद्ध यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि नंददास पुत्र सुरजदास की वादगत कृषि भूमि ख0न0 1508 तादादी 22.02 बीघा, ख0न0 1513 तादादी 25.04 बीघा, ख0न0 1520 तादादी 2 बीघा कुल कित्ता 3 तादादी 49.06 बीघा वाके रोही बीदासर में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि स्थित थी जो कि पारिवारिक विभाजन के अनुसार उसके कब्जे काश्त में थी । नंददास ने अपने हिस्से की 1/3 कृषि भूमि 19.12 बीघा में से 9.8 बीघा कृषि भूमि बंशीदास पुत्र केशरदास को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1995 को विक्रय कर दी एवम शेष 4.7 बीघा कृषि भूमि जो रास्ते पर थी अपीलांट भंवरदास पुत्र नेमदास को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.7.1995 को विक्रय कर दी । उक्त कृषि भूमि धरेलू बंटवारे के अनुसार सडक पर थी । अपीलांट द्वारा अपनी खरीदशुद्धा 7.4 बीघा कृषि भूमि में से 4 बीघा कृषि भूमि जगदीश पुत्र पुनाराम मेघवाल निवासी घंटीयाली तहसील सुजानगढ को दिनांक 19.12.2011 को विक्रय कर दी । तत्पश्चात अपीलांट ने उक्त 4 बीघा कृषि भूमि दिनांक 08.01.2013 को जगदीश से पुनः खरीद कर ली । रेस्पो0 1ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा घोषणात्मक, रेकार्ड दुरुस्ती, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 31.05.2019 को राजीनामा हो गया इसी राजीनामें के आधार पर स्व0 केशरदास की भूमि 5 हिस्सो में विभाजित होगी व जो खरीदशुद्धा भूमि है व विभाजन में शामिल होगी एवम विभाजन कब्जा काश्त के अनुसार होगा । अपीलांट द्वारा इसी को आधार मानते हुए राजीनामा पर हस्ताक्षर कर दिये । अपीलांट अपने हिस्से की कब्जा काश्त भूमि पर मकान बनाकर वर्षों से निवास व कृषि कार्य कर रहा है । रेस्पो0 द्वारा पटवारी से मिलकर अपीलांट की खरीदशुद्धा भूमि को जो कि बीदासर से ढढेरू सडक पर स्थित है को सडक से हटाकर पिदे कर

दी व स्वयं सडक पर कृषि भूमि दर्ज करवा ली जो राजीनामा के विरुद्ध है । हल्का पटवारी द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था वह अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया था । जिसे रेस्पोजेन्टान को बुलाकर उनके मनमाफिक विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रारम्भिक डिक्री तैयार की गयी इसी प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर दिनांक 06.03.2020 को अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की गयी थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह राजीनामों के अनुसार नहीं होने के कारण कानून विरुद्ध है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31.05.2019 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पोजेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक की बहस को नकारते हुये अपनी बहस निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 1508 तादादी 22.02 बीघा, ख0न0 1513 तादादी 25.04 बीघा, ख0न0 1520 तादादी 2 बीघा कुल कित्ता 3 तादादी 49.06 बीघा वाके रोही बीदासर में स्थित है जो अपीलांट व रेस्पोजेन्टान की सामुहिक खाते की कृषि भूमि है जिस पर मौके पर अपने अपने हिस्से पर सिंव डालकर कृषि कार्य किया जा रहा है । सामुहिक खाते कि भूमि होने के कारण सभी पक्षकार उक्त वादगत कृषि भूमि पर सरकारी लाभांस प्राप्त करने व राजस्व लगान चूकाने में परेसानी का सामना करना पड रहा था जिसके आधार पर रेस्पोजे/वादीगण सं0 1 ता 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा घोषणात्मक, रेकार्ड दुरुस्ती, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिस पर समस्त पक्षकारान द्वारा दिनांक 31.05.2019 को आपस में राजीनामा हो जाने पर उसी राजीनामों के आधार पर प्राथमिक डिक्री व निर्णय किया गया व उसी आधार पर दिनांक 06.03.2020 को अंतिम डिक्री जारी की गयी । रेस्पोजे/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर खेत ख0न0 1508 तादादी 22.02 बीघा, ख0न0 1513 तादादी 25.04 बीघा, ख0न0 1520 तादादी 2 बीघा कुल कित्ता 3 तादादी 49.06 बीघा वाके रोही बीदासर तथा खेत ख0न0 1478 रकबा 24.11 बीघा रेस्पोजे/वादीगण व अपीलांट/प्रतिवादीगण 1ता 3 के हिस्से की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम की जावे की डिक्री जारी की गयी जो सभी पक्षकारानो के द्वारा प्रस्तुत राजीनामों के अनुसार जारी की गयी है व साथ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 एवम माननीय राजस्व मण्डल के परिपत्र 18 से 21 की पालना की गयी है । इसी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31.05.2019 के आधार पर भी अंतिम डिक्री दिनांक 06.03.2020 पारित की गयी है उक्त राजीनामों पर अपीलांट के हस्ताक्षर है व सहमति दी गयी है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31.05.2019 को यथावत रखा जावे ।
4. हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजीनामा दिनांक 31.05.2019 में यह स्पष्टतयः अंकित है कि वादगत कृषि भूमि का विभाजन आपसी सहमति से पांच हिस्सों के रूप में कब्जा काश्त अनुसार एवम सहमति मुताबिक विभाजन करवाना चाहते हैं उक्त राजीनामों पर

सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर व अगुंठा निशान लिये गये हैं जिन्हें नोटेरी द्वारा प्रमाणित किया हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी राजीनामों पर अपने समक्ष हस्ताक्षर करवाये गये हैं जब सभी पक्षकारों द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि के अनुसार खाता विभाजन करवाने की सहमति प्रदान की गयी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत राजीनामों के अनुसार कब्जे काश्त की भूमि के अनुसार खाता विभाजन किया जाना प्रतीत नहीं होता है । अपीलान्त भंवरदास पुत्र नेमदास के द्वारा 7.4 बीघा कृषि भूमि दिनांक 24.07.1995 को नंददास से क्रय की गयी थी जो बीदासर से ढढेरू सड़क मार्ग पर स्थित थी उसी अनुसार अपीलान्त द्वारा उसका कब्जा लिया गया था व उसी अनुसार काश्त की जा रही थी जो कि विभाजन में सड़क से हटाकर पिछे कर दी गयी ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाती है एव अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31.05.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि वो तहसीलदार स्तर के अधिकारी को मौके पर भेज कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवावें एवम सभी पक्षकारों को साक्ष्य व सबुत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करवाते हुए (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र 18 से 21 की पालना करवाते हुए) एवम सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 31.05.2019 का भली भांती परिक्षण कर तीन माह में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjMh½
Hki zU/k vf/kdkjh , oa
ins jktLo vihy ixf/kdkjh
chdkuj